कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

विज्ञापन

क्रमांक / 1884 /जि.पं. /शिक्षा /2016 रायगढ़, दिनांक 06/06/2016

अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र कमांक 172 /अमुस/पंग्राविवि /2016 नया रायपुर दिनांक 17.05.2016 के अनुसार सीधी भर्ती हेतु उपलब्ध कराये गये रिक्त पदों की पूर्ति हेतु छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग रायपुर के ज्ञापन कमांक पंचा-192/पंग्रविवि /2012 /1167 दिनांक 21.08.2012, एवं छ.ग. शिक्षक (पंचायत) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2012 तथा छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय नया रायपुर के पत्र कमांक पंचा.-142 /पंग्रविवि /2012 /1583 रायपुर दिनांक 21.11.2012 के द्वारा छ.ग. शिक्षक (पंचायत) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2012 में संशोधन अनुसार जिले में स्कूल शिक्षा एवं आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में संचालित शालाओं / संस्थाओं (हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी स्कूलों) में व्याख्याता (पंचायत) के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु **दिनांक 20.06.2016 को कार्यालयीन समय 05.30 बजे सायं** तक आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं । स्पीड पोस्ट /पंजीकृत डाक द्वारा अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्र की स्वीकार्य होगा ।

व्याख्याता (पंचायत) की विज्ञापित पदों की वर्गवार जानकारी

क्र.	विषय का नाम	(अ) कुल पद श्रेणीवार				(ब) कालम (अ) में दर्शाये गये कुल रिक्त पदों में से महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की संख्या				(स) कालम (अ) में दर्शाये गये कुल रिक्त पदों में से विकलांग वर्ग के लिए पदों की संख्या				(द) कालम (अ) में दर्शाये गये कुल रिक्त पदों में से भूतपूर्व सैनिकों के लिए पदों की संख्या				(इ) कालम (अ) में दर्शाये गये कुल रिक्त पदों में से मुक्त वर्ग के लिए पदों की संख्या				कुल पद
		UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC	
1	अंग्रेजी	11	4	11	4	3	2	3	1	0	0	2	0	1	0	1	1	7	2	5	2	30
2	गणित	12	4	12	5	4	1	4	1	0	1	1	0	1	0	1	1	7	2	6	3	33
3	भौतिकी	5	1	5	2	2	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	2	1	3	1	13
4	रसायन	5	2	5	2	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	3	1	3	1	14
5	जीवविज्ञान	11	4	11	4	3	1	3	2	0	0	1	0	1	0	1	1	7	3	6	1	30
6	वाणिज्य	8	3	8	3	2	1	2	1	0	0	1	0	1	0	1	0	5	2	4	2	22
	योग	**52**	**18**	**52**	**20**	**15**	**6**	**14**	**7**	**0**	**1**	**7**	**0**	**6**	**0**	**4**	**3**	**31**	**11**	**27**	**10**	**142**

टीप :-

1. **UR= अनारक्षित, SC= अनुसूचित जाति, ST= अनुसूचित जनजाति, OBC= अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर)**
2. रिक्त पदों की संख्या घटाई या बढाई जा सकती है, पदों के घटने-बढने की स्थिति में आरक्षण घट-बढ सकता है । जिसके लिये जिला पंचायत का निर्णय अंतिम होगा ।
3. सेवा समाप्ति, त्यागपत्र, नवीन पदों की स्वीकृति, स्थानान्तरण आदि के कारण रिक्त पदों की पूर्ति भी इसी विज्ञापन से प्राप्त आवेदनों से की जावेगी ।

नियम एवं शर्ते :-

(1) **कार्यालय जिला पंचायत में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि - 20.06.2016**

(2) वेतनमान रुपये :- व्याख्याता (पंचायत) के लिये - **वेतनमान 5300-150-8300** एवं शासन द्वारा समय-समय पर देय महंगाई भत्ता ।

(3) **A न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं** :- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /संस्था से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि एवं बी.एड. उपाधि हो ।

कमांक	विषय	विषय समूह
1	अंग्रेजी	अंग्रेजी
2	गणित	गणित /एप्लाइड गणित
3	भौतिकी	भौतिकी /इलेक्ट्रानिक्स /एप्लाइड भौतिकी /न्यूक्लियर भौतिकी
4	रसायन	रसायन /बायोकेमेस्ट्री
5	जीवविज्ञान	वनस्पति शास्त्र /प्राणीशास्त्र /मानव विज्ञान /जैविकी /अनुवांशिकी (जैनेटिक्स) /सूक्ष्म जैविकी (माइक्रोबायलाजी)/ जैव प्रौद्यागिकी (बायोटेक्नॉलाजी) /आणविक जीवविज्ञान (मालिकुलर बायोलॉजी) पादक कार्यिकी (प्लान्ट फिजियोलॉजी) तथा स्नातक स्तर पर प्राणीशास्त्र एवं वनस्पति शास्त्र रहा हो ।
6	वाणिज्य	एकाउन्टेंसी सहित वाणिज्य /कास्ट एकाउटिंग /फाइनेन्सियल एकाउन्टेंसी एक मुख्य विषय हो ।

[4] आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।,

[5] कोई भी उम्मीदवार, जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

[6] कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

[7] छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले के जिला रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। (कार्यरत शासकीय/ अर्धशासकीय/निगम/मण्डल के सेवकों को नियोक्ता से प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

[8] आरक्षित पदों पर आवेदन हेतु अभ्यर्थी को आवेदन पत्र के साथ स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । चयनित उम्मीद्वारों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो माह के भीतर उच्चस्तरीय छानबीन समिति आदिम जाति कल्याण विभाग से जाति सत्यापन कराकर प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

[9] आयु सीमा :- दिनांक **01 जून 2016** को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो । छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए समय-समय पर आयु-सीमा में प्रदान की गई छूट शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के लिये भी लागू होगी ।

[10] भर्ती का तरीका :-

10.1 व्याख्याता (पंचायत) की मेरिट के आधार पर सीधी भर्ती के लिये आवेदकों की शैक्षणिक योग्यता अर्थात 10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर एवं बी.एड. में प्राप्त अंकों के आधार पर अधिमान्यता दी जाएगी ।

10.2 व्याख्याता (पंचायत) की नियुक्ति के लिये स्नातक में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 20 अंक, स्नातकोत्तर में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 50 अंक तथा बी.एड. में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 30 अंक ।

10.3 चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता /अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार चयन समिति का होगा ।

10.4 चयनित उम्मीद्वारों को दस्तावेज सत्यापन /कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाणपत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

10.5 चयनित उम्मीद्वारों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर चरित्र सत्यापन (पुलिस वेरिफिकेशन) जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाणपत्र प्रस्तुतत करना अनिवार्य होगा ।

10.6 यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है, अतएव नियुक्ति की शर्तो के अनुसार किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकती है ।

10.7 चयनित उम्मीद्वारों की नियुक्ति दो वर्ष की परीविक्षा पर की जावेगी एवं सेवा संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर परीविक्षा 05 वर्ष बढ़ाई जा सकेगी, इसके पश्चात् भी संतोषप्रदा नहीं पाये जाने पर सेवा समाप्त कर दी जावेगी ।

[11] आवेदन पत्र जमा करने की विधि :-

1. आवेदन निर्धारित प्रारूप में ए-4 साईज पेपर में ही किया जावें । आवश्यक दस्तावेज /प्रमाणपत्रों की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें । निर्धारित प्रारूप पर आवेदन नहीं होने एवं अपूर्ण अथवा अस्पष्ट आवेदन की दशा में आवेदन अमान्य कर दिया जावेगा ।

2. आवेदक को लिफाफे के उपर स्पष्ट अक्षरों में आवेदित पद का नाम, वर्ग व विषय का उल्लेख करना अनिवार्य होगा ।

3. आवेदन पत्र विधिवत भरने पश्चात् मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायगढ को पंजीकृत डाक (रजिस्ट्री) /स्पीड पोस्ट से प्रेषित करेंगे । आवेदन पत्र जिला पंचायत में सीधे स्वीकार नहीं किया जावेगा । अपने आवेदन के साथ 02 स्वयं का पता लिखा हुआ लिफाफा जिसमें प्रत्येक में 27-27 रूपये मूल्य का टिकट चस्पा करेंगे । साथ ही लिफाफे के उपर विषय, जाति संवर्ग स्पष्ट अक्षरों में उल्लेख करें । आवेदन दिनांक 20.06.2016 को कार्यालयीन समय 05.30 बजे के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा । डाक से विलंब प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे । विलंब से प्राप्त आवेदन पर जिला पंचायत रायगढ जिम्मेदार नहीं होगा ।

04. डाक द्वारा गुम हुये आवेदन पत्र की जिम्मेदारी इस कार्यालय की नहीं होगी ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत रायगढ़ (छ.ग.)

पृ.क्रमांक/ 1885 /जि.पं./शिक्षाकर्मी/2016 रायगढ़, दिनांक 06/06/2016

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय दाउ कल्याण सिंह भवन, नया रायपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय दाउ कल्याण सिंह भवन, नया रायपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय दाउ कल्याण सिंह भवन, नया रायपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

4. संचालक, पंचायत संचालनालय, छत्तीसगढ़ नया रायपुर को सादर सूचनार्थ।
5. संचालक, स्कूल शिक्षा विभाग, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ ।
6. संचालक, संचालनालय सैनिक कल्याण बोर्ड ई–11, पिंक सिटी, गायत्री नगर के पास, रायपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
7. कलेक्टर जिला रायगढ़ को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
8. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, (एन.आई.सी.) रायगढ़ की ओर वेबसाईट www.raigarh.gov.in पर विज्ञापन एवं आवेदन पत्र प्रारूप प्रकाशित करने हेतु सी.डी. सहित प्रेषित ।
9. जिला शिक्षा अधिकारी, रायगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
10. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, रायगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. जिला रोजगार अधिकारी, रायगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
12. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला रायगढ़ की ओर सूचना फलक में प्रकाशन हेतु सूचनार्थ ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत रायगढ़ (छ.ग.)

कार्यालय जिला पंचायत, रायगढ़ (छत्तीसगढ़)
व्याख्याता (पंचायत) की विज्ञापन

व्याख्याता (पंचायत) विषय .... जाति संवर्ग .... हेतु आवेदन पत्र

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत, रायगढ़ (छ.ग.)

कलर पासपोर्ट साईज फोटो (राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित)

1. अभ्यर्थी का नाम (हिन्दी में) ....
(अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में)

2. पिता/पति का नाम (हिन्दी में) ....
(अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में)

3. जन्म तिथि (अंकों में) | | | | | | | | |
शब्दों में ....
दिनांक 01.06.2016 की स्थिति में आयु – वर्ष .... माह .... दिन ....

4. जाति (अनु.जाति/अनु.जनजाति/अ.पि.व./सामान्य) उल्लेख करें ....
(आरक्षित प्रवर्ग का होने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)

5. क्या आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं ? ....
(छत्तीसगढ़ मूल निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)

6. क्या आप निःशक्त है ? .... यदि हां तो, निःशक्तता का प्रतिशत ....%
एवं निःशक्त का प्रकार (अस्थि/श्रवण/दृष्टि/अन्य) – ....
(जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी निःशक्तता प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)

7. क्या आप विज्ञापन में दी गई न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता पूर्ण करते हैं ? ....

8. शैक्षणिक योग्यता – (शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्रों की छायाप्रति संलग्न करें)

क्र.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	परीक्षा में सम्मिलित विषय/ विषय समूह का नाम	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	प्राप्तांक/ पूर्णांक	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1	हाई स्कूल					
2	हायर सेकेण्डरी					
3	स्नातक					
4	स्नातकोत्तर					
5	बी.एड.					

9. क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं ? .... (यदि हॉ तो प्रमाण पत्र संलग्न करें)

10. जीवित रोजगार पंजीयन क्रमांक एवं नवीनीकरण तिथि .... (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

11. पत्राचार का पता ....

....

....

12. स्थायी पता ....

....

....

13. फोन / मोबाईल नं. | | | | | | | | | | |

14. यदि आप शासकीय / अर्द्धशासकीय / निगम / मण्डल में सेवारत हैं तो निम्नलिखित प्रारूप को भरें एवं नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें –

कार्यरत पद का नाम	कार्यालय का नाम	कार्यरत अवधि कब से कब तक
1	2	3
		.... से .... (कुल अवधि) ....

15. वैवाहिक स्थिति (विवाहित / अविवाहित) ....

16. यदि विवाहित हैं तो विवाह की तिथि .... बच्चों की संख्या ....

सभी बच्चों की जन्म तिथि ....

(सरपंच / पार्षद द्वारा जारी विवाह एवं जीवित संतान प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें एवं विवाहित महिला अभ्यर्थी शपथ प्रस्तुत करें)

17. अभ्यर्थी का घोषणा पत्र –

मैं घोषणा करता / करती हूँ कि उपरोक्त फार्म में बिन्दु क्रमांक 01 से 16 तक दी गई सम्पूर्ण जानकारी सत्य है । किसी भी प्रकार की गलती या गलत जानकारी के कारण मुझे चयन प्रक्रिया से निष्कासित किया जा सकता है एवं मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी । मैंने यह आवेदन सम्पूर्ण विज्ञापन को पढ़कर एवं समझकर भरा है । विज्ञापन में दिए गए नियमों के अनुसार मुझे व्याख्याता (पंचायत) के पद पर आवेदन करने की पात्रता है, जिसे आवश्यकता होने पर प्रमाणित करने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी है ।

स्थान : .... अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

दिनांक : .... नाम ....